राजस्थान सरकार
आबकारी विभाग

वर्ष 2021–22 के आबकारी बंदोबस्त के संदर्भ में देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर एवं वाईन खुदरा विक्रय दुकान (कम्पोजिट दुकान) के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तें :–

1. **पात्रता**

मदिरा विक्रय के लिये अनुज्ञापत्र हेतु वे ही व्यक्ति आवेदन कर सकेगें, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों व भारतीय संविदा अधिनियम के तहत अनुबन्ध करने की योग्यता रखते हैं। मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यक्ति ई–नीलामी में भाग लेने के लिये अयोग्य होंगे :–

(i) भारत का नागरिक नही है,

(ii) अठारह वर्ष से कम आयु का व्यक्ति,

(iii) व्यक्ति जो स्वयं, जामिन या अन्य किसी रूप में आबकारी विभाग का बाकीदार हो,

(iv) वर्ष 2020–21 के ऐसे अनुज्ञाधारी, जिनमें माह दिसम्बर, 2020 तक की एकाकी विशेषाधिकार राशि/लाईसेंस फीस या अन्य कोई राशि बकाया हो,

(v) कोई भी व्यक्ति जिसके विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 अथवा इसकी धारा 34 में उल्लेखित प्रावधानों अथवा नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्स्टेंसेज एक्ट, 1985 के अंतर्गत अपराध का कोई मामला दर्ज हो अथवा उसमें सजायाब हुआ हो ।

(vi) राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र धारण हेतु अयोग्य व्यक्ति ।

(vii) राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/स्थानीय निकायों/अन्य किसी भी राजकीय अथवा अर्द्धराजकीय संस्थान में सेवारत व्यक्तियों/जन सेवकों को राजकीय अधिकारिता के अलावा व्यक्तिगत क्षमता में अनुज्ञापत्र धारण करने के लिये पात्र नही होंगे।

(viii) ई–नीलामी के लिये अपात्र व्यक्ति द्वारा बोली में भाग लेकर अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के पश्चात अपात्रता की जानकारी होने पर जारी अस्थायी/स्थायी अनुज्ञापत्र निरस्त योग्य होगा एवं ऐसे अपात्र बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई समस्त प्रकार की राशियां जप्त सरकार की जायेगी।

2. **व्यक्तिगत ई–बोली के अलावा भागीदारी फर्म/कम्पनी/साझेदारी फर्म के माध्यम से निम्नानुसार ई–बोली में भाग लिया जा सकता है :–**

2.1 **सीमित दायित्व भागीदार** :–सीमित दायित्व भागीदारी के नाम से भी ई–नीलामी में भाग लिया जा सकता है। सीमित दायित्व भागीदारी के रूप में ई–नीलामी में भाग लेने की स्थिति में भागीदारी में सम्मिलित सभी व्यक्तियों को पंजीकरण एवं ई–नीलामी में भाग लेने हेतु आवश्यक सभी औपचारिकताएं पूर्ण करनी होगी। सभी भागीदारों को अनुज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने होगे। सीमित दायित्व भागीदारी के नाम से अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जाने की स्थिति में भागीदारी में सम्मिलित समस्त व्यक्ति वार्षिक गारन्टी राशि व अन्य शुल्क आदि की पूर्ति के लिये संयुक्त एंव पृथक–पृथक रूप से उत्तरदायी होगे। दायित्वों के उनके आपसी बंटवारे संबंधी उनकी आंतरिक व्यवस्था से विभाग को कोई सरोकार नही रहेगा । ऐसे भागीदारी में सम्मिलित व्यक्ति, अनुज्ञाधारियों द्वारा आयकर विभाग में प्रस्तुत की जाने वाली सूची से भिन्न नही होगे। अनुज्ञापत्र में सम्मलित सीमित दायित्व वाली भागीदारी फर्म के किसी भी भागीदार के अनुज्ञापत्र की अवधि में भागीदारी फर्म से अलग हो जाने पर अनुज्ञापत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा एवं अनुज्ञाधारियों की जमा समस्त प्रकार की राशि जब्त सरकार हो जायेगी एवं विभागीय बकाया एवं अन्य दायित्वों के प्रति संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से जिम्मेदार रहेगें।

2.2 रजिस्टर्ड साझेदारी फर्म :– साझीदारी फर्म के नाम से भी ई–नीलामी में भाग लिया जा सकता है। साझेदार फर्म के नाम से ई–नीलामी में भाग लेने पर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करनी होगी तथा पार्टनरशिप डीड की स्वः प्रमाणित प्रति अपलोड करनी होगी। बोली स्वीकार हो जाने पर सभी साझीदारों को अनुज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने होगे। सभी साझेदार वार्षिक गारन्टी राशि एवं अन्य देय शुल्क इत्यादी जमा कराने के लिए संयुक्त एंव पृथक–पृथक रूप से उत्तरदायी होगे। अनुज्ञा पत्र की अवधि तक साझेदारी फर्म से साझेदार अपना नाम वापस नही ले सकेगे । अनुज्ञापत्र में सम्मलित साझेदारी फर्म के किसी भी साझेदार के अनुज्ञापत्र की अवधि में साझेदारी फर्म से अलग हो जाने पर अनुज्ञापत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा एवं अनुज्ञाधारी की जमा समस्त प्रकार की राशि जप्त सरकार हो जायेगी एवं सभी साझेदार संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से विभागीय बकाया एवं अन्य दायित्वों के प्रति जिम्मेदार रहेगें।

2.3 **कम्पनीः**—कम्पनी के द्वारा ई—नीलामी में भाग लेने की स्थिति में बोलीदाता के रूप में कम्पनी का नाम अंकित करना होगा। पिता का नाम अंकित करना आवश्यक नहीं होगा। कम्पनी द्वारा किसी एक निदेशक को ई—नीलामी में भाग लेने हेतु अधिकृत किया जा सकता है। ई—नीलामी में भाग लेने हेतु अधिकृत किये गये व्यक्ति को ई—नीलामी में भाग लेने हेतु आवश्यक समस्त औपचारिकताएं पुरी करनी होगी तथा इस कम्पनी के नाम बोली स्वीकार हो जाने की स्थिति में दुकान संचालन करने से पूर्व अधिकृत पत्र की प्रति, कम्पनी के सभी निदेशक का संयुक्त एंव पृथक पृथक रूप से असीमित उत्तरदायित्व होगा। कम्पनी के लिये निम्न अतिरिक्त सूचनाऐं देना भी अनिवार्य होगाः—

1. कम्पनी का मेमोरेन्डम ऑफ एसोशियेशन एवं आर्टिकल ऑफ एसोशियेशन की प्रमाणित प्रति ।
2. निदेशको के नाम व पूर्ण पते ।
3. गत दो वर्षो के अंतिम लेखो की अंकेक्षित प्रति ।
   दस्तावेज ई—नीलामी में भाग लेने की दिनांक से पूर्व के होना आवश्यक होंगे।

2.4 **व्यक्तियों का समूह** :— व्यक्तियों के समूह के नाम से भी ई—नीलामी में भाग लिया जा सकता है। व्यक्तियों के समूह के रूप में ई—नीलामी में भाग लेने की स्थिति में व्यक्तियों के समूह में सम्मिलित सभी व्यक्तियों को पंजीकरण एवं ई—नीलामी में भाग लेने हेतु आवश्यक सभी औपचारिकताएं पूर्ण करनी होगी। व्यक्तियों के समूह में सम्मलित समस्त व्यक्ति की ई—बोली स्वीकृत होने पर सभी अनुज्ञाधारी कहलायेगें एवं वे संयुक्त तथा पृथक—पृथक रूप से उत्तरदायी होगें । ऐसे समूह में सम्मलित व्यक्ति आयकर विभाग में प्रस्तुत की जाने वाली सूची से भिन्न नही होगें । यदि कोई व्यक्ति समूह से पृथक हो जाता है या विभाग द्वारा समूह से पृथक कर दिया जाता है तो भी अनुज्ञापत्र की सम्पूर्ण अवधि तक समूह के अन्य सदस्यो की भॉति संयुक्त एवं पृथक—पृथक रूप से विभाग के प्रति उत्तरदायी रहेगा।

3. **अवधि**

आबकारी बन्दोबस्त की अवधि एक वर्ष 2021—22 (दिनांक 1—4—2021 से दिनांक 31—3—2022) के लिये होगी। जिसको एक और वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा।

4. **बन्दोबस्त की प्रणाली**

वर्ष 2021—22 हेतु देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL), बीयर एवं वाईन का बन्दोबस्त निम्न प्रणाली अनुसार किया जायेगा :—

4.1 देशी मदिरा,राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL) एवं बीयर के वर्ष 2021–22 के अनुज्ञापत्र दुकानवार **न्यूनतम रिजर्व प्राईस** निर्धारित कर ई–नीलामी प्रक्रिया से अधिकतम कीमत के अनुसार प्राप्त **वार्षिक गारण्टी राशि** पर प्रदत्त किये जायेंगे।

5. बन्दोबस्त की प्रकिया

5.1 वर्ष 2021–22 के लिये बन्दोबस्त भारत सरकार के उपक्रम एम.एस.टी.सी. लिमिटेड के माध्यम से ई–नीलामी प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा। नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता को ऑनलाईन पंजीकरण/आवेदन करना होगा। ऑनलाईन पंजीकरण/ आवेदन के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट **https://www.mstcecommerce.com एवं https:// rajexcise.gov.in** पर उपलब्ध है।

6. आवेदन

6.1 आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 12.02.2021 को प्रातः 11:00 बजे से प्रारम्भ हो जाएगी तथा प्रत्येक चरण हेतु निर्धारित नीलामी की दिनांक से एक दिन पूर्व को रात 11:59 पी.एम. पर बंद हो जाऐगी। आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि एम.एस.टी.सी. लिमिटेड जयपुर के खाते में निर्धारित प्रक्रिया के तहत जमा करानी होगी। जिसके आधार पर वह ई–नीलामी में भाग ले सकेगा। आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि नीलामी की तिथि से एक दिवस पहले (समय रात 11:59 पी.एम. तक) तक एम.एस.टी.सी. लिमिटेड जयपुर के खाते में जमा हो जानी चाहिये तभी बोलीदाता नीलामी में भाग ले सकेगा।

6.2 बोलीदाता कम्प्यूटर/लैपटॉप को इन्टरनेट से जोड कर घर, कार्यालय, ई–मित्र सेन्टर तथा साइबर कैफे के माध्यम से ई–नीलामी में भाग ले सकता है।

6.3 इस सूचना के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं अनुज्ञापत्र की शर्ते तथा उपलब्ध दुकानों की निर्धारित सूची मय विवरण विभागीय वेबसाईट https://www.rajexcise.gov.in एवं एम.एस.टी.सी.लि. की वेबसाईट **https://www.mstcecommerce.com** पर दिनांक 11.02.2021 से उपलब्ध रहेगी

6.4 वर्ष 2021–22 के लिये देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL) एवं बीयर की रिटेल ऑफ दुकानों (कम्पोजिट दुकानों) के लिए आवेदन शुल्क व अमानत राशि निम्नानुसार निर्धारित है :–

क्रं सं.	दुकानों की श्रेणी	आवेदन शुल्क (रूपये में)	अमानत राशि (रूपये में)
1	वर्ष 2021–22 के लिए 50 लाख रूपये तक न्यूनतम रिजर्व प्राईस वाली दुकान	40000/–	50000/–
2	वर्ष 2021–22 के लिए 50 लाख रूपये से अधिक एवं 02 करोड तक न्यूनतम रिजर्व प्राईस वाली दुकान	50000/–	100000/–
3	वर्ष 2021–22 के लिए 02 करोड रूपये से अधिक न्यूनतम रिजर्व प्राईस वाली दुकान	60000/–	200000/–

6.5 आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि प्रत्येक दुकान के लिये पृथक–पृथक देय होगी।

6.6 आवेदन शुल्क अप्रतिदाय (non-refundable) होगा।

6.7 सफल बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि धरोहर राशि पेटे समायोजित की जायेगी तथा द्वितीय एवं तृतीय उच्चतम बोलीदाता को रिजर्व रखा जायेगा व इनकी अमानत राशि रिजर्व रखी जायेगी। शेष असफल बोलीदाता की अमानत राशि एम.एस.टी.सी. लिमिटेड द्वारा संबंधित के बैक खाते में स्थानान्तरण की जायेगी।

7. धरोहर राशि अदायगी

7.1 सफल बोलीदाता को धरोहर राशि के रूप में वर्ष 2021–22 की वार्षिक गारन्टी राशि की 4% राशि जमा करानी होगी। सफल बोलीदाता के नाम स्वीकृति जारी होने पर देय धरोहर राशि की 50 प्रतिशत (अमानत राशि को समायोजित करते हुए) राशि बोली स्वीकार होने की दिनांक (ई–नीलामी दिवस को छोडकर) 03 दिवस में एवं शेष राशि 07 दिवस में संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में ई–ग्रास चालान के माध्यम से संबंधित बजट मद के अन्तर्गत राजकोष में जमा करानी होगी।

8. अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि

8.1 अनुज्ञाधारी को वर्ष 2021–22 के लिये वार्षिक गारण्टी राशि का 8 प्रतिशत राशि अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि के रूप में दिनांक 01.04.2021 से पूर्व राजकोष में जमा करानी होगी।

8.2 इस 8 प्रतिशत अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि का वित्तीय वर्ष 2021–22 के माह फरवरी में 3 प्रतिशत राशि तथा माह मार्च में 5 प्रतिशत राशि निर्धारित मासिक राशि पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम हेतु देय आबकारी ड्यूटी अथवा मासिक राशि में समायोजन किया जा सकेगा।

8.3 सफल बोलीदाता यदि आयकर विभाग का पेन नम्बरधारी नही हैं तो उसे 30.04.2021 तक पेन नम्बर प्राप्त कर विभाग को सूचित करना होगा ।

8.4 यदि सफल बोलीदाता किसी स्टेज पर उक्तानुसार निर्धारित अवधि में रकम जमा नहीं करवाता है, तो उस स्टेज तक उसके द्वारा जमा कराई अमानत राशि/धरोहर राशि/ अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि या अन्य कोई राशि जप्त कर राजसात् की जायेगी एवं उसके पक्ष में जारी स्वीकृति/अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

9. **दुकानों एवं गोदाम की अवस्थिति :–**

9.1 सिविल अपील संख्या 12164–12166 राज्य बनाम के बालू. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.2016 तथा इस निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 12179/2016 में पारित निर्णय दिनांक 31.03.2017 की तथा उक्त की निरन्तरता में स्पेशल लीव पिटीशन (सिविल संख्या 10243 ऑफ 2017 अराईव सेफ सोसायटी ऑफ चण्डीगढ़ बनाम द यूनियन टेरिटेरी ऑफ चण्डीगढ व अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.07.2017 एवं सिविल अपील सख्यां 12164–12666 ऑफ 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.02.2018 के क्रम में राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गो (National highways and State highways) पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मदिरा दुकान की अवस्थिति के संबंध में निर्धारित प्रतिबन्धित दूरी की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

9.2 वर्ष 2016–17 की आबकारी नीति के अनुरूप मदिरा भण्डारण के लिये निर्धारित वार्षिक फीस जमा कराने पर प्रत्येक दुकान हेतु एक गोदाम की अनुमति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15–12–2016 के अध्यधीन दी जा सकेगी। गोदाम हेतु दुकान के लिए 1 लाख रूपये वार्षिक फीस देय होगी। इसमें शहरी क्षेत्र में अपने विक्रय काउंटर (दुकान) के 100 मीटर परिधि में तथा ग्रामीण क्षेत्र में सुविधानुसार जहां दुकान का लोकेशन दिया गया है, उस राजस्व ग्राम में उपलब्ध स्थल पर अनुमत किये जा सकेंगें, परन्तु दुकान के लिये में कोई भी गोदाम की अवस्थिति की स्वीकृति पड़ोस के अन्य समूह के लिए स्वीकृत गोदाम/दुकान से लगता हुआ गोदाम नहीं खोला जा सकेगा। उनकी पड़ोस के गोदाम/दुकान से न्यूनतम 500 मीटर की दूरी से कम दूरी पर स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा एवं शहरी क्षेत्र की दुकान का गोदाम उनकी पड़ोस की गोदाम/दुकान से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी से कम दूरी पर स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।

9.3 समस्त गोदामों तथा दुकानों के लोकेशन ऑनलाईन स्वीकृत किये जायेंगे।

10. **वार्षिक गारण्टी राशि का निर्धारण :–**

10.1 वर्ष 2021–22 के लिये दुकानवार ई–नीलामी से प्राप्त अधिकतम बोली सम्बन्धित दुकान के लिये **वार्षिक गारण्टी राशि** के रूप में निर्धारित की जायेगी। जिसे 12 महीनों में बराबर–बराबर बांटी जायेगी एवं तद्नुसार मदिरा का उठाव करना होगा।

नीलामी से प्राप्त अधिकतम बोली जो कि वार्षिक गारण्टी राशि होगी उसमे भी देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा की आबकारी ड्यूटी का अनुपात न्यूनतम रिजर्व प्राइस में जो अनुपात है उसी के अनुसार होगा। इनका आपूर्ति प्रतिशत आबकारी नीति वर्ष 2021–22 के अनुसार होगा।

10.2 वर्ष 2021–22 में प्रचलित देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML)] भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर एवं वाईन के मासिक उठाव के लिये जमा कराये गये आबकारी ड्यूटी का भराव सम्बन्धित वर्ष के लिये निर्धारित **वार्षिक गारण्टी राशि** पेटे दिया जायेगा।

10.3 प्रत्येक अनुज्ञाधारी को एक त्रैमास में निर्धारित वार्षिक राशि के प्रतिशत से कम मदिरा का उठाव करने पर उस त्रैमास हेतु निर्धारित **वार्षिक गारण्टी राशि** की शेष राशि पृथक से नकद जमा करवानी होगी।

11. **देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) उत्पादन एवं आपूर्ति अनुपातः–**

11.1 वर्ष 2021–22 हेतु राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) का हिस्सा कुल **वार्षिक गारण्टी राशि** में निर्धारित देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) के अनुपात का 50 प्रतिशत न्यूनतम रखा जाता है। शेष 50 प्रतिशत हिस्सा देशी मदिरा का होगा जिसमें से 50/60 यूपी का हिस्सा न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा 40 यूपी की देशी मदिरा का 60 प्रतिशत हिस्सा होगा।

11.2 अनुज्ञाधारी द्वारा किसी माह में देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) निर्धारित मासिक राशि की पूर्ति उक्त अनुपात में नही करने की स्थिति में संबंधित त्रैमास के अन्य माह/माहों में देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) के उठाव के लिये जमा कराई गई आबकारी ड्यूटी से समायोजन होगा।

11.3 एक त्रैमास में निर्धारित **गारण्टी राशि** के प्रतिशत से कम मदिरा का उठाव करने पर अनुज्ञाधारी को उस त्रैमास हेतु निर्धारित **गारण्टी राशि** की शेष राशि एवं बेसिक लाईसेंस फीस पृथक से नकद जमा करवानी होगी।

11.4 वर्ष 2021–22 के दौरान राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) तथा देशी मदिरा का मासिक राशि की पूर्ति का 100 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक अधिक उठाव करने पर अनुज्ञाधारी द्वारा मासिक राशि के 100 प्रतिशत से अधिक उठाई गई मदिरा की मात्रा पर देय आबकारी शुल्क में 40 प्रतिशत छूट दी जायेगी। जिसका प्रति त्रेमासिक आधार पर आगणित किया जावेगा परन्तु इसके साथ ही राजस्थान निर्मित मदिरा का न्यूनतम 50 प्रतिशत उठाव होना आवश्यक होगा। यह छूटमासिक राशि के 150 प्रतिशत अधिकतम तक ही छूट मिलेगी तथा आगामी वर्ष में दुकान/समुह के **वार्षिक गारण्टी राशि** निर्धारण में इसको सम्मिलित नहीं किया जावेगी।

12. **मासिक राशि के कोटे को अन्य अनुज्ञाधारी को स्थानान्तरित करने की व्यवस्था** –मासिक राशि की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में एक अनुज्ञाधारी अपने समान अन्य अनुज्ञाधारी को अपने बुनियादी अंश (Basic Quota) के त्रैमासिक आधार पर अपने कोटे के अंश विशेष को स्थानान्तरित करने की अनुमति दी जा सकेगी। इस बाबत बिक्री की शर्तें अंश विशेष को प्राप्त करने वाले अनुज्ञाधारी तथा अंश विशेष को देने वाले अनुज्ञाधारी द्वारा पारस्परिक आधार पर तय की जा सकेगी। स्थानान्तरित मात्रा को देने वाले के कोटे से कम किया जावेगा परन्तु मासिक राशि में कोई बदलाव नहीं किया माना जायेगा। इस प्रकार के कोटे का आपसी स्थानान्तरण ऑनलाईन स्वतः स्वीकृत किया जाने की व्यवस्था की जावेगी। इस प्रकार के कोटे के स्थानान्तरण हेतु देशी मदिरा के लिए 10 रूपये प्रति बल्क लीटर

राजकोष में कोटा देने वाले अनुज्ञाधारी द्वारा ट्रांस्फर फीस के रूप में जमा कराना होगा, परन्तु, उपर्युक्त प्रावधान सम्बन्धित आबकारी जिले में ही स्थानान्तरण हेतु लागू होगे।

परन्तु उक्त स्थानान्तरित कोटे की मात्रा देने वाले अनुज्ञाधारी के कोटे की मात्रा उसके **वार्षिक गारण्टी राशि** के 20 प्रतिशत की मात्रा से अधिक नहीं हो सकेगा। साथ ही कोई भी ऐसी मात्रा प्राप्त करने वाला अनुज्ञाधारी भी अपने **वार्षिक गारण्टी राशि** के 20 प्रतिशत की मात्रा से अधिक प्राप्त नहीं कर सकेगा। आगामी वर्ष में **वार्षिक गारण्टी राशि** निर्धारण में इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा।

13. **देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा पर आबकारी ड्यूटी एवं शुल्क :–**
वर्ष 2021–22 में देशी मदिरा तथा राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) पर आबकारी शुल्क तथा बेसिक लाईसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित की गई है :–

क्र. सं.	मदिरा का प्रकार	आबकारी शुल्क प्रति एलपीएल राशि रूपयों में	लाईसेंस फीस प्रति बल्क लीटर (राशि रूपयों में)
1	देशी मदिरा	175	44
2	राजस्थान निर्मित मदिरा (RML)	185	105

उक्त आबकारी शुल्क एवं लाईसेन्स फीस में राज्य सरकार द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, जो मान्य होगा।

14. बेसिक लाईसेंस फीस की वसूली मदिरा क्रय करते समय आबकारी ड्यूटी के साथ की जावेगी।

15. राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) एवं देशी मदिरा के अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक पर बेचान एवं अन्य शर्तो के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

16. वर्ष 2021–22 हेतु देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा के परमिट फीस एक रूपया प्रति बल्क लीटर दर से देय है।

17. **कम्पोजिट फीस :–**

17.1 राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों एवं समस्त शहरी क्षेत्रों की दुकानों पर देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL), बीयर एवं वाईन का विक्रय एवं आपूर्ति हो सकेगी। अतः राज्य की समस्त मदिरा दुकानें कम्पोजिट श्रेणी की होगी।

17.2 वर्ष 2021–22 के लिये मदिरा दुकानों की कम्पोजिट फीस वर्ष 2019–20 की भा. नि.वि.मदिरा एवं बीयर की राजस्थान राज्य ब्रेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड (आर.एस. बी.सी.एल.) डिपो की एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि (Annualised Billing Amount) की 7 प्रतिशत होगी।

17.3 मदिरा की वे दुकानें जिनको वर्ष 2021–22 से पूर्व भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर विक्रय की अनुमति नही थी उनके लिये कम्पोजिट फीस वर्ष 2021–22 के लिये विवेकीकरण के आधार पर अनुमानित एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि का 7 प्रतिशत होगा।

17.4 वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये निर्धारित कम्पोजिट फीस 31 मार्च 2021 तक संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में ई–ग्रास चालान के माध्यम से संबंधित बजट मद के अन्तर्गत राजकोष में जमा करानी होगी।

17.5 **एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि (Annualised Billing Amount)की गणना निम्नानुसार की जायेगी** : किसी भी दुकान के अनुज्ञाधारी द्वारा उस दुकानके लिये मदिरा एवं बीयर के क्रय हेतु आर.एस.बी.सी.एल को वित्तीय वर्ष 2019–20 में दुकान/समूह की सभी कम्पोजिट दुकानों के लिये कुल अदा की गई राशि मय विवेकीकरण के (Including all levies, VAT and SVF) वर्ष 2021–22 के लिये एनुएलाईज्ड बिलिंग राशि मानी जायेगी।

18. जिन मदिरा दुकानें की कम्पोजिट फीस रूपये 50 लाख से अधिक है उन दुकानों हेतु प्रति त्रैमास के लिये अपने निर्धारित कोटे से न्यूनतम 5 प्रतिशत तथा अधिकतम 20 प्रतिशत तक भा.नि.वि.म./बीयर के उठाव किये जाने पर, उनके द्वारा अधिक उठाई गई भा.नि.वि. मदिरा/बीयर पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क का प्रावधान किया जाकर अधिक उठाई गयी मात्रा पर निम्नानुसार प्रतिशत में अतिरिक्त आबकारी छूट देय होगी एवं अधिक उठाई गई मात्रा को आगामी कम्पोजिट फीस में नहीं जोड़ा जावेगा।

क्र.सं.	कम्पोजिट फीस	बीयर पर अतिरिक्त उठाव पर देय अतिरिक्त आबकारी शुल्क प्रतिशत में	भा.नि.वि.मदिरा पर अतिरिक्त उठाव पर देय अतिरिक्त आबकारी शुल्क प्रतिशत में
1	50 लाख से 1 करोड तक	30	30
2	1 करोड़ से 1.5 करोड़	20	20
3	रू. 1.5 करोड़ से अधिक	10	10

भारत निर्मित विदेशी मदिरा के 950 रूपये तक ई.डी.पी. वाले ब्राण्ड पर अतिरिक्त आबकारी डयूटी में उपरोक्त क्रम संख्या 1 के लिये 20 प्रतिशत का प्रावधान लागू होगा।

19. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी दुकान का पुनः बन्दोबस्त किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित दुकान की कम्पोजिट फीस का पुनःनिर्धारण किया जायेगा तथा उसकी स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा जारी की जायेगी।

20. जिन समूहों में वर्ष 2021–22 हेतु कम्पोजिट शुल्क की राशि रूपये 1.00 करोड़ से अधिक है उनको कम्पोजिट शुल्क की 50 प्रतिशत राशि दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व राजकोष में जमा करानी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि आगामी तीन माह की अवधि में समान तीन किश्तों जमा करानी होगी।

21. **भारत निर्मित विदेशी मदिरा** :

21.1 वर्ष 2021–22 के बन्दोबस्त में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी दुकानों पर देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL), बीयर एवं वाईन विक्रय किया जा सकेगा। इनका बन्दोबस्त बिन्दू संख्या 4 के अनुसार किया जायेगा।

21.2 प्रत्येक अनुज्ञाधारी को एक त्रैमास में निर्धारित **वार्षिक गारण्टी राशि** के प्रतिशत से कम मदिरा का उठाव करने पर उस त्रैमास हेतु निर्धारित **वार्षिक गारण्टी राशि** की शेष राशि पृथक से नकद जमा करवानी होगी।

22. वर्ष 2020–21 तक भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर निर्गमन पर देय स्पेशल वेण्ड फीस का प्रावधान वर्ष 2021–22 के लिए समाप्त कर दिया गया है।

23. वर्ष 2021–22 के लिये शहरीय क्षेत्र की भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की खुदरा दुकानो के लिए वार्षिक लाईसेन्स फीस का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।

24. वर्ष 2021–22 के लिये 270/–रू. तक एक्स ब्रेवरीज प्राईस पर एवं 270/–रू. से अधिक एक्स ब्रेवरीज प्राईस वाले बीयर ब्राण्ड पर क्रमशः 45 प्रतिशत एवं 35 प्रतिशत अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी देय होगी।

25. वर्ष 2021–22 के लिये भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL) तथा विदेशी आयातित मदिरा (BIO) के अलावा अन्य आबकारी उत्पादों पर सरचार्ज को समाप्त किया गया है।

26. रिटेल लाईसेन्स की शर्तों के उल्लंघन पर राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 58सी के तहत अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय करने पर तथा निर्धारित समय से अतिरिक्त समय पर दर्ज होने वाले अभियोगों में अनुज्ञा पत्र निलम्बन/निरस्तीकरण किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त अनुज्ञा पत्र की अन्य शर्तों के उल्लंघन करने पर अनुज्ञाधारी को सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

27. राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) के लिए उल्लेखित विशिष्ठ प्रावधानों के अलावा अन्य सभी प्रावधान देशी मदिरा के प्रावधान लागू रहेगें।

28. आबकारी बन्दोबस्त, मद्य–संयम एवं शुष्क दिवसों के संबंध में अन्य प्रावधान/प्रक्रिया/व्यवस्था पूर्व नीति के अनुरूप यथावत लागू रहेगें।

29. आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2021–22 के प्रावधान एवं इसके तहत जारी की गई अधिसूचनाएं/विभागीय परिपत्र/आदेश एवं राज्य सरकार/विभाग द्वारा मदिरा दुकानों के संबंध में समय–समय पर जारी आदेश/निर्देश अन्तिम होगें।

30. अन्य प्रावधान आबकारी नीति 2021–22 व इस कार्यालय द्वारा जारी ई–नीलामी आमंत्रण सूचना पत्रांक प.32(बी)(1)आब/एल/2021–22/2274 दिनांक 07.02.2021 के अनुरूप रहेगें।

आबकारी आयुक्त, राजस्थान

राजस्थान – सरकार
आबकारी – विभाग

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 तथा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के अन्तर्गत देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL), बीयर एवं वाईन की खुदरा (कम्पोजिट दुकान) बिक्री के लिए अनुज्ञापत्र

अनुज्ञापत्र संख्या ..... दिनांक : .....

अनुज्ञाधारी का नाम	पिता/पति का नाम	आयु	पूर्ण पता

उपर्युक्त व्यक्तियों को विभाग द्वारा निर्देशित राजस्थान राज्य बेवरेजेज निगम लिमिटेड के डिपो से विदेशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL), बीयर एवं वाईन तथा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के गोदाम से देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) प्राप्त कर स्वीकृत खुदरा दुकान पर मदिरा का खुदरा विक्रय करने हेतु दिनांक .....से ..... तक की अवधि के लिए नीचे वर्णित शर्तों पर अनुज्ञापत्र जारी किया जाता है।

दुकान का नाम :.....

इस अनुज्ञापत्र की पालना सुनिश्चित करने के लिये उक्त अनुज्ञाधारी/अनुज्ञाधारियों ने वर्ष 2021–22 की निर्धारित वार्षिक गारण्टी राशि की 8 प्रतिशत अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि एवं वार्षिक गारण्टी राशि की 4 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करा दी है ।

देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL), बीयर एवं वाईन खुदरा (कम्पोजिट दुकान) विक्रय अनुज्ञापत्र (लाईसेन्स) की शर्ते

1. **राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों आदि की पालना :–**

अनुज्ञाधारी, राजस्थान आबकारी अधिनियम, **1950** (अधिनियम संख्या–II, 1950) एवं उसके अन्तर्गत बने राजस्थान आबकारी नियम, **1956** (यथासंशोधित) एवं ई–नीलामी के सदर्भ में जारी विस्तृत निर्देश एवं शर्तो, अनुज्ञाधारी के पक्ष में जारी की गई स्वीकृति, इस अनुज्ञापत्र की शर्तों तथा समय–समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशों से पाबन्द रहेगा।

2. **वार्षिक गारण्टी राशि एवं अन्य राशियाँ तथा उनका भुगतान :–**

2.1 अनुज्ञाधारी को राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 24 एवं 30 तथा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 (यथासंशोधित) के नियम संख्या 67 के अधीन वर्ष 2021–22 (दिनांक 1.4.2021 से 31.3.2022 तक) की अवधि के लिए निर्धारित वार्षिक गारण्टी राशि रूपये .....(अंकों में) रूपये ....(शब्दों में) का आबकारी नीति 2021–22 के प्रावधान एवं आबकारी नियमों के अनुसार भुगतान करना होगा।

2.2 **वर्ष 2021–22 के लिये वार्षिक गारण्टी राशि का निर्धारण :–**

2.2.1 मदिरा दुकान विशेष के लिये ई–नीलामी में प्राप्त अधिकतम स्वीकृति बोली राशि संबंधित मदिरा दुकान के लिये वार्षिक गारण्टी राशि होगी।

2.2.2 वर्ष 2021–22 के लिये संबंधित मदिरा दुकान की निर्धारित वार्षिक गारण्टी राशि को 12 महीनों में बराबर–बराबर बांटी जायेगी एवं तद्नुसार मदिरा का उठाव करना होगा। मासिक गारन्टी राशि के बराबर मदिरा उठाव नही करने पर शेष राशि नगद में जमा करानी होगी।

2.3 **मदिरा उठाव का अनुपात :–**

2.3.1 नीलामी से प्राप्त अधिकतम बोली जो कि वार्षिक गारण्टी राशि होगी उसमे देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा की आबकारी ड्यूटी का अनुपात न्यूनतम रिजर्व प्राइस में जो अनुपात है उसी के अनुसार होगा एवं मदिरा उठाव भी उसी अनुपात में करना होगा।

2.3.2 निर्धारित मात्रा में मदिरा का मासिक उठाव करने पर उस पर देय आबकारी शुल्क का मासिक गारण्टी पेटे समायोजन किया जायेगा, जो किसी स्थिति में मासिक गारण्टी राशि से अधिक नही होगा।

2.3.3 किसी माह में निर्धारित मात्रा में मदिरा का उठाव नही करने पर उसी त्रैमास के अगले माह/माहों में मदिरा उठा कर पूर्ति की जा सकेगी।

2.3.4 एक त्रैमास में निर्धारित **गारण्टी राशि** के प्रतिशत से कम मदिरा का उठाव करने पर अनुज्ञाधारी को उस त्रैमास हेतु निर्धारित **गारण्टी राशि** की शेष राशि एवं बेसिक लाईसेंस फीस पृथक से नकद जमा करवानी होगी।

2.3.5 कुल **वार्षिक गारण्टी राशि** में निर्धारित ''देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (RML)'' की कुल मात्रा में 50 प्रतिशत न्यूनतम हिस्सा राजस्थान निर्मित मदिरा का होगा एवं शेष 50 प्रतिशत हिस्सा देशी मदिरा का होगा जिसमें से 50/60 यूपी का हिस्सा न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा 40 यूपी की देशी मदिरा का 60 प्रतिशत हिस्सा होगा।

3. मासिक एकाकी विशेषाधिकार के कोटे को अन्य अनुज्ञाधारी को स्थानान्तरित करने की व्यवस्था –

3.1 मासिक राशि की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में एक अनुज्ञाधारी अपने समान अन्य अनुज्ञाधारी को अपने बुनियादी अंश (Basic Quota) के त्रैमासिक आधार पर अनुज्ञाधारी के कोटे के अंश विशेष को स्थानान्तरित करने की अनुमति दी जा सकेगी। इस बाबत बिक्री की शर्तें अंश विशेष को प्राप्त करने वाले अनुज्ञाधारी तथा अंश विशेष को देने वाले अनुज्ञाधारी द्वारा पारस्परिक आधार पर तय की जा सकेगी। स्थानान्तरित मात्रा को देने वाले के कोटे से कम किया जावेगा परन्तु मासिक राशि में कोई बदलाव नहीं किया माना जायेगा। इस प्रकार के कोटे का आपसी स्थानान्तरण ऑनलाईन स्वतः स्वीकृत किया जाने की व्यवस्था की जावेगी। इस प्रकार के कोटे के स्थानान्तरण हेतु देशी मदिरा के लिए 10 रूपये प्रति बल्क लीटर राजकोष में कोटा देने वाले अनुज्ञाधारी द्वारा ट्रांस्फर फीस के रूप में जमा कराना होगा, परन्तु, उपर्युक्त प्रावधान सम्बन्धित आबकारी जिले में ही स्थानान्तरण अनुमत होगा।

3.2 परन्तु उक्त स्थानान्तरित कोटे की मात्रा देने वाले अनुज्ञाधारी के कोटे की मात्रा उसके वार्षिक गारण्टी राशि के 20 प्रतिशत की मात्रा से अधिक नहीं हो सकेगी। साथ ही कोई भी ऐसी मात्रा प्राप्त करने वाला अनुज्ञाधारी भी अपने वार्षिक गारण्टी राशि के 20 प्रतिशत की मात्रा से अधिक प्राप्त नहीं कर सकेगा। आगामी वर्ष में वार्षिक गारण्टी राशि निर्धारण में इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा।

3.3 विलम्ब से जमा करायी गयी राशि पर राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के अनुसार ब्याज भी वसूली योग्य होगा। ब्याज के भुगतान करने के लिये पृथक से नोटिस की आवश्यकता नही होगी।

3.4 अनुज्ञाधारी को राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियमों एवं इसके अलावा अन्य कोई फीस, कर प्रभार, यदि कोई देय होगा तो अनुज्ञाधारी को अलग से भुगतान करना होगा।

3.5 वर्ष 2021–22 के लिये निर्धारित वार्षिक गारण्टी राशि का 8 प्रतिशत राशि अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि के रूप में दिनांक 01.04.2021 या दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व राजकोष में जमा करानी होगी। इस 8 प्रतिशत अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि का वित्तीय वर्ष 2021–22 के माह फरवरी में 3 प्रतिशत राशि तथा माह मार्च में 5 प्रतिशत राशि निर्धारित मासिक गारन्टी पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम हेतु देय आबकारी ड्यूटी अथवा मासिक गारन्टी राशि पेटे समायोजन किया जा सकेगा।

4. अनुज्ञापत्र की वैधानिक स्थिति :–

4.1 जिन व्यक्तियों के पक्ष में अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया गया है वे व्यक्ति ही अनुज्ञाधारी की श्रेणी में माने जायेगे तथा वे ही इस अनुज्ञापत्र के तहत निर्धारित क्षेत्र में मदिरा की बिक्री करने हेतु अधिकृत होंगे।

4.2 अनुज्ञाधारी, अनुज्ञापत्र देने वाले अधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञा पत्र हस्तान्तरित नही कर सकेगा। अनुज्ञापत्र की अवधि में अनुज्ञाधारी की मृत्यु हो जाने पर उसके पात्र वारिसान द्वारा एक माह की अवधि में अपने नाम पर अनुज्ञापत्र स्थानान्तरण करवाने हेतु संबंधित जिला आबकारी अधिकारी को आवेदन करना होगा। अनुज्ञापत्र विधिवत स्थानान्तरण नही कराने पर दुकानों का संचालन अवैध होगा एवं ऐसी स्थिति में अनुज्ञापत्र निरस्त किया जाकर समस्त जमा राशि जप्त सरकार की जावेगी। एवं अवैध संचालन के लिये वैधानिक कार्यवाही हेतु उत्तरदायित्व होगें किसी दुकान में एक से अधिक अनुज्ञाधारी होने की स्थिति में यदि किसी अनुज्ञाधारी की मृत्यु हो जाती है तो शेष अनुज्ञाधारी अनुज्ञापत्र की शर्तो से यथावत् बाध्य रहेगें।

5. धरोहर राशि (Security Deposit) :

5.1 मदिरा दुकान का सफलतापूर्वक संचालन कर लेने एवं कोई बकाया नही रहने पर अनुज्ञापत्र की अवधि समाप्ति के पश्चात धरोहर राशि का प्रतिदाय किया जायेगा।

6. दुकानों की अवस्थिति :

6.1 कम्पोजिट मदिरा दुकान को संबंधित ग्राम पंचायत अथवा नगर निगम /नगर परिषद/नगर पालिका के सम्बन्धित वार्ड में किसी भी नियमानुकूल अवस्थिति पर लगाया जा सकेगा। परन्तु दो पड़ौसी दुकानो में अस्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा रोकने के उद्धेश्य से जिला आबकारी अधिकारी इस संबंध में उचित निर्णय ले सकेगा ।

6.2 अनुज्ञाधारी दुकानें प्रारम्भ करने से पूर्व दुकानों की अवस्थिति की स्वीकृति हेतु आवश्यक दस्तावेजों सहित, सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी को नियमानुसार ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करेगा एवं नियमानुसार सही पाये जाने पर ऑनलाईन लोकेशन स्वीकृति जारी की जायेगी तथा नियमों के विपरीत होने पर आवेदन पत्र निरस्त करने पर अनुज्ञाधारी द्वारा दुकान लोकेशन स्वीकृत कराने हेतु जमा कराई गई राशि अप्रतिदाय (non refundable) होगी। साथ ही वह अन्य स्थान पर दुकान स्वीकृत कराने हेतु नियमानुसार शुल्क जमा कराकर आवेदन संबंधित जिला आबकारी अधिकारी को करना होगा।

6.3 जिला आबकारी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उचित एवं पर्याप्त कारण होने पर स्वीकृत स्थान से दुकान हटवा सकेगा। इस प्रकार स्वीकृत दुकानों को एक स्थान से उसी क्षेत्र में दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने या बन्द रहने या संचालन नही करने पर अनुज्ञाधारी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा वार्षिक/मासिक गारण्टी राशि में छूट पाने का हकदार नही होगा तथा अनुज्ञाधारी द्वारा दुकान स्थानान्तरण/लोकेशन स्वीकृत कराने हेतु जमा कराई गई राशि अप्रतिदाय (non refundable) होगी।

6.4 निर्धारित क्षेत्र में दुकान की अवस्थिति स्वीकृत नही कराने अथवा किसी कारणवश उसे संचालित नही करने की स्थिति में अनुज्ञाधारी उसके द्वारा देय शुल्क राशि में किसी प्रकार की छूट पाने का हकदार नही होगा।

6.5 अनुज्ञाधारी मदिरा दुकान अस्पताल, महाविद्यालय एवं सीनियर हायर सैकण्डरी शिक्षण संस्थानों, सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों, आंगनवाडी केन्द्रो, धार्मिक स्थानों, सिनेमा हॉल और नाट्य गृह से 200 मीटर की परिधि में नही लगा सकेगा, परन्तु एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में धार्मिक स्थानों से दूरी संबंधी प्रतिबंध जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी हुई सूची में उल्लेखित धार्मिक स्थानों पर लागू होगा। महाविद्यालय, सीनियर हायर सैकण्डरी शिक्षा संस्थानों एवं सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों एवं आंगनवाडी केन्द्रो को छोड़कर अन्य शिक्षण संस्थान के बन्द होने के एक घन्टे बाद ही दुकान खोली जा सकेगी। इस बाबत राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के प्रावधान एवं विभागीय निर्देश अन्तिम होगे।

6.6 अनुज्ञाधारी, फैक्ट्री अथवा श्रमिक व हरिजन बस्ती से 200 मीटर की परिधि में दुकान नही लगा सकेगा। हरिजन बस्ती से अभिप्राय ऐसे नगर पालिका वार्ड से होगा जिसमें अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार उस वार्ड की जनसंख्या की 50 प्रतिशत से अधिक है।

6.7 सिविल अपील संख्या 12164–12166 राज्य बनाम के बालू. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक पारित निर्णय दिनांक 15.12.2016 तथा इस निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 12179/2016 में पारित निर्णय दिनांक 31.03. 2017 की तथा उक्त की निरन्तरता में स्पेशल लीव पिटीशन (सिविल संख्या 10243 ऑफ 2017 अराईव सेफ सोसायटी ऑफ चण्डीगढ़ बनाम द यूनियन टेरिटेरी ऑफ चण्डीगढ व अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.07.2017 एवं सिविल अपील सख्यां 12164–12666 ऑफ 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 23.02.2018 के क्रम में राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गो (National highways and State highways) पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मदिरा दुकान की अवस्थिति के संबंध में निर्धारित प्रतिबन्धित दूरी की पालना करनी होगी।

6.8 अनुज्ञाधारी को अपनी दुकान के दरवाजे पर 125 X 75 से.मी. आकार का एक साईन बोर्ड जिस पर अनुज्ञाधारी का नाम, दुकान का विवरण, दुकान खुलने व बन्द होने का समय तथा दुकान जिला आबकारी अधिकारी से अनुमोदित होने आदि का उल्लेख हो, लगाना होगा। मदिरा दुकान का केवल एक ही दरवाजा सार्वजनिक सड़क पर होगा तथा इस एक दरवाजे के अतिरिक्त कोई खिड़की, आला या दीवार में छेद इत्यादि नही होगा । दरवाजे के अलावा पूरी दुकान पुख्ता पक्की होगी । आमतौर से मदिरा की दुकान इस प्रकार होनी चाहिए कि दरवाजे के बाहर से भीतर के सब हालात स्पष्टतया दिखाई दे सके। दुकान का काउण्टर विहित रीति के अनुसार रखना होगा। जिस कमरे में दुकान होगी उसमें अनुज्ञाधारी एवं उसके अधिकृत नौकर के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को नही रख सकेगा। अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहक को किसी प्रकार का प्रलोभन नही दे सकेगा, जैसे कि गाना, नाच व रेडियों/टेलीविजन का कार्यक्रम इत्यादि और न किसी प्रकार का विज्ञापन ही इस विषय पर कर सकेगा। इसके साथ ही किसी भी मदिरा के ब्राण्ड के विक्रय को बढ़ाने के लिए कोई स्कीम, भेट, नजराना या प्रलोभन नही ले सकेगा । इसके अलावा किसी भी मदिरा ब्राण्ड का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का विज्ञापन / छद्म विज्ञापन किसी भी रूप में नही कर सकेगा ।

6.9 मदिरा दुकान को स्वच्छ रखना होगा तथा नियमित रूप से साफ–सफाई रखनी होगी। मदिरा के स्टॉक को दुकान में व्यवस्थित रूप से रखना होगा। विक्रय की जाने वाली विभिन्न किस्म की मदिरा को दुकान के भीतर उचित रूप से प्रदर्शित (Display) करना होगा। इसके अलावा दुकान के दरवाजे के पास प्रमुख मदिरा ब्राण्डों का अधिकतम खुदरा मूल्य प्रर्दशित करने वाली स्पष्ट पठनीय सूची विभाग द्वारा निर्धारित साईज की लगानी होगी । यह सूची ऐसे स्थान पर लगानी होगी जहां से ग्राहक इसे आसानी से पढ़ सके / देख सकें।

6.10 कानून व व्यवस्था की दृष्टि से किसी दुकान की अवस्थिति वर्जित स्थान पर होने की दशा में अगर उस दुकान को बन्द करवाया जाता है तो सक्षम अधिकारी की अनुमति से अनुज्ञाधारी उस समूह क्षेत्र में अन्यत्र स्थान पर नियमानुसार दुकान खोल सकेगा परन्तु ऐसा करने पर वार्षिक / मासिक गारण्टी राशि के भुगतान में किसी प्रकार की छूट अथवा क्षतिपूर्ति का हकदार नही होगा।

6.11 अनुज्ञाधारी नियमानुसार राशि का भुगतान कर जिला आबकारी अधिकारी की अनुमति से स्वीकृत कराई गई दुकान को अपने क्षैत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर सकेगा।

6.12 वर्ष 2016–17 की आबकारी नीति के अनुरूप मदिरा भण्डारण के लिये निर्धारित वार्षिक फीस जमा कराने पर प्रत्येक दुकान हेतु एक गोदाम की अनुमति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15–12–2016 के अध्यधीन दी जा सकेगी। गोदाम हेतु दुकान के लिए 1 लाख रूपये वार्षिक फीस देय होगी। इसमें शहरी क्षेत्र में अपने विक्रय काउंटर (दुकान) के 100 मीटर परिधि में तथा ग्रामीण क्षेत्र में सुविधानुसार जहां दुकान का लोकेशन दिया गया है, उस राजस्व ग्राम में उपलब्ध स्थल पर अनुमत किये जा सकेंगें, परन्तु दुकान के लिये में कोई भी गोदाम की अवस्थिति की स्वीकृति पड़ोस के अन्य समूह के लिए स्वीकृत गोदाम/दुकान से लगता हुआ गोदाम नहीं खोला जा सकेगा। उनकी पड़ोस के गोदाम/दुकान से न्यूनतम 500 मीटर की दूरी से कम दूरी पर स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा एवं शहरी क्षेत्र की दुकान का गोदाम उनकी पड़ोस की गोदाम/दुकान से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी से कम दूरी पर स्वीकृत नहीं की जायेगी।

6.13 देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर एवं वाईन खुदरा विक्रय अनुज्ञापत्र के संबंध में जो भी कर देय होंगे वह अनुज्ञाधारी को अलग से भुगतान करने होंगे।

7. <u>दुकानों का संचालन :</u>

7.1. दुकान खुली रहने का समय प्रातः 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक रहेगा, परन्तु आबकारी आयुक्त द्वारा बिना पूर्व सूचना के समय में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

7.2 वर्तमान में नियत 5 शुष्क दिवस (यथा गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी पुण्य तिथि 30 जनवरी, महावीर जयंती, स्वाधीनता दिवस एवं गांधी जयंती हैं) रहेगे। भविष्य में राज्य सरकार/आबकारी आयुक्त द्वारा नियत किये जाने वाले शुष्क दिवसों पर दुकानें बंद रखनी होगी। शुष्क दिवसों की सूचना अनुज्ञाधारी संबंधित आबकारी निरीक्षक से प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त दुकान को बन्द रखने व

बिक्री समय पर जो नियंत्रण समय–समय पर लगाये जावेंगे उनका पालन भी अनुज्ञाधारी को करना होगा और इसके लिए उसे न तो कोई क्षतिपूर्ति दी जायेगी और न उसके द्वारा देय राशि में ही कोई कमी की जावेगी। यदि अनुज्ञाधारी की दुकानें कानून व व्यवस्था संबंधी कारणों से बन्द रहती है तो भी देय राशि में किसी प्रकार की छूट नही दी जावेगी। शुष्क दिवसों की पठनीय सूची दुकान के काउण्टर के पास लगानी होगी।

7.3 राज्य सरकार, आबकारी आयुक्त अथवा अनुज्ञापत्र देने वाला अधिकारी अनुज्ञाधारी को बिना नोटिस दिये शुष्क दिवसों के अतिरिक्त किसी विशेष अवसर पर या विशेष कारणवश मदिरा के विक्रय के समय में परिवर्तन कर सकेगा या दुकान बन्द रखने की आज्ञा दे सकेगा। ऐसी दशा में अनुज्ञाधारी को इसके लिये न तो कोई क्षतिपूर्ति की जायेगी और न देय राशि में कोई कमी की जायेगी।

7.4 अनुज्ञाधारी देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा की आपूर्ति राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के निर्धारित गोदाम से तथा विदेशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर एवं वाईन की आपूर्ति राजस्थान राज्य बेवरेजेज निगम लिमिटेड के निर्धारित डिपोज से लेगा और उसे अपनी दुकान पर सबसे अधिक सीधे मार्ग से अथवा पास में अंकित मार्ग से नियत समय में सुरक्षित रूप से लायेगा और उसके लिए पास भी साथ रखना होगा। दूसरे स्थान या किसी भी अन्य अनुज्ञाधारी से मदिरा नही ला सकेगा, न अपने पास रख सकेगा और न ही उसका विक्रय कर सकेगा।

7.5 अनुज्ञाधारी को अपने क्षेत्र की दुकान तथा विभाग द्वारा स्वीकृत गोदाम के मध्य माल लाने व ले जाने हेतु जिला आबकारी अधिकारी से अलग से परमिट लेने की आवश्यकता नही होगी। इस हेतु ''परिवहन घोषणा पत्र'' अनुज्ञाधारी द्वारा जारी किया जावेगा। परिवहन घोषणा–पत्र पुस्तिका विभाग द्वारा अनुज्ञाधारी को जारी की जावेगी। इस घोषणा–पत्र की मान्यता अवधि एक दिन की होगी।

7.6 मदिरा दुकान पर किसी भी रूप मे मदिरा पान करना/ कराना पूर्णतः निषिद्ध होगा । स्वीकृत दुकान पर वैध रूप से क्रय की गई राज्य में विक्रय योग्य मदिरा के अतिरिक्त अन्य कोई खाद्य पदार्थ/पेय पदार्थ/अन्य वस्तुऐं यथा खाली बोतल, कार्टन इत्यादि नही रखे जा सकेगे।

7.7 **मदिरा दुकानो पर नौकर रखे जाने की स्थिति**

7.7.1 अनुज्ञाधारी मदिरा लाने व बेचने के लिये जिला आबकारी अधिकारी की अनुमति से अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिये वांछित पात्रता वाले व्यक्ति को जिला आबकारी अधिकारी की पूर्वानुमति से ऑनलाईन नौकरनामा सम्पादित कर अधिकतम चार नौकर रख सकेगा। अनुज्ञाधारी की किसी विशेष कारण से अनुपस्थित की अवस्था में अनुज्ञाधारी के पिता/पति एवं अनुज्ञाधारी के वयस्क पुत्र को इस संबंध में लिखित स्वीकृति की आवश्यकता नही होगी।

7.7.2 दुकान पर मदिरा बेचान करने वाले अधिकृत नौकर को उचित वेशभूषा में रहना होगा तथा उसे अपने नाम तथा विभाग द्वारा नौकरनामे के अनुमोदन के क्रमांक व दिनांक के उल्लेख वाली पट्टिका/लेमिनेटेड कार्ड लगाना होगा।

7.7.3 संबंधित जिला कार्यालय में मदिरा दुकान पर रखे जाने वाले नौकर के रजिस्टर का संधारण किया जायेगा।

7.7.4 मदिरा दुकान पर रखे नौकर द्वारा किये गये प्रत्येक काम के लिये अनुज्ञाधारी स्वंय उत्तरदायी होगा।

7.8 अनुज्ञाधारी को अनुज्ञापत्र की अवधि तक अपनी दुकान नियमित रूप से संचालित रखनी होगी और हर समय स्टॉक में मदिरा की इतनी मात्रा रखनी होगी, जो 15 दिन की बिक्री के लिए पर्याप्त हो। मदिरा का सारा स्टॉक उसी दुकान या स्वीकृत गोदाम पर रखना होगा और उसी दुकान पर बेचना होगा, जिसके लिए उसे अनुज्ञापत्र दिया गया है। गोदाम पर मदिरा की बिक्री नही कर सकेगा।

7.9 अनुज्ञाधारी मदिरा बन्द बोतलों/अद्धों/पव्वों एवं अन्य अनुमत पात्र में ही विक्रय कर सकेगा।

7.10 अनुज्ञाधारी किसी एक व्यक्ति को एक समय में राजस्थान आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत खुदरा विक्रय हेतु उल्लेखित अधिकतम मात्रा से अधिक मात्रा में मदिरा सक्षम अधिकारी की आज्ञा के बिना एक साथ नही बेच सकेगा, लेकिन राज्य सरकार जब भी उचित समझेगी तब अधिसूचना जारी कर इस मात्रा में कमी या वृद्धि कर सकेगी, जिसकी पालना अनुज्ञाधारी को करनी होगी। ऐसी आज्ञा के विरूद्व वह कोई आपत्ति नही कर सकेगा और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की मांग कर सकेगा।

7.11 अनुज्ञाधारी 18 वर्ष से कम आयु वाले किसी व्यक्ति को या जिस व्यक्ति का होश हवास दुरूस्त न हो, मदिरा नही बेच सकेगा। इसी प्रकार पुलिस व सेना के सिपाही या रेल व आबकारी के कर्मचारियों को भी जो वर्दी पहने हुए या ड्यूटी पर हो, मदिरा नही बेच सकेगा। वाहन चालकों को एवं हवाई जहाज के पायलटों को भी यात्रा के दौरान मदिरा नही बेच सकेगा।

7.12 अनुज्ञाधारी अथवा उसका नौकर अपनी दुकान पर किसी प्रकार दंगा, फसाद या जुआ संबंधी गतिविधि नही होने देगा और ऐसे लोगों को जो कुख्यात बदमाश हों, दुकान पर आने नहीं देगा और ऐसे बदमाशों को अपनी दुकान पर नही ठहरायेगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति दुकान में आवे जिसके विषय में पुलिस द्वारा दस्तान्दाजी योग्य और जमानत के अयोग्य अपराध का संदेह हो तो अनुज्ञाधारी या जो व्यक्ति उसकी ओर से दुकान पर काम करता हो उसका कर्तव्य होगा कि उसकी सूचना तुरन्त निकटवर्ती मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दें।

7.13 अगर अनुज्ञाधारी या उसका कोई प्रतिनिधि अवैध रूप से मदिरा का संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय करते हुआ पाया जाता है तो नियमानुसार कानूनी कार्यवाही के अलावा उस पर उचित शास्ति भी आरोपित की जा सकेगी ।

7.14 अनुज्ञाधारी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूतनम विक्रय मूल्य से कम मूल्य पर एवं निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा का विक्रय नही कर सकेगा ।

8. अभिलेखों का संधारण :

8.1 अनुज्ञाधारी को मदिरा की आमद, बिक्री और शेष बची मात्रा (Balance) का हिसाब निर्धारित रजिस्टर में दैनिक रूप से रखना होगा व एक निरीक्षण पंजिका भी रखनी होगी। यह रजिस्टर जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में मूल्य चुका कर प्राप्त करना होगा। दैनिक हिसाब विभागीय निर्देशानुसार संधारित करना होगा और मासिक आमद, बेचान व स्टॉक का नक्शा आगामी माह की 5 तारीख तक हलके के आबकारी निरीक्षक के पास पेश करना होगा।

8.2 आबकारी निरीक्षक अथवा निरीक्षण के लिये अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर अनुज्ञाधारी को अपना अनुज्ञापत्र, नौकर का नौकरनामा व बिक्री रजिस्टर, परमिट पास एवं मदिरा का तमाम स्टॉक, इत्यादि जांच हेतु उपलबध कराना होगा तथा उसको दिन व रात में किसी भी समय दुकान में प्रविष्ट होने देगा और ऐसे अधिकारी को निरीक्षण के दौरान प्रत्येक प्रकार का सहयोग देगा।

8.3 अनुज्ञापत्र की अवधि समाप्त होने की स्थिति में अनुज्ञाधारी को मदिरा के बचे हुए स्टाक एवं समस्त रिकार्ड की सूचना अविलम्ब अपने क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक को देनी होगी। समस्त रिकार्ड उसे आबकारी निरीक्षक के कार्यालय में अविलम्ब जमा कराना होगा एवं बचे हुए स्टॉक का निस्तारण जिला आबकारी अधिकारी के आदेशानुसार करना होगा। निस्तारण होने तक बचा हुआ स्टॉक, आबकारी निरीक्षक एवं निवर्तमान अनुज्ञापत्र धारी के संयुक्त अभिरक्षण में ऐसे स्थान पर रहेगा, जहां व्यवसाय किया जा रहा था एवं निस्तारण करने तक उस स्थान का किराया बिजली व्यय एवं अन्य अधिभार निवर्तमान अनुज्ञाधारी को ही देने होंगे।

8.4 अनुज्ञाधारी के दोष के कारण अनुज्ञापत्र निरस्त होने पर अनुज्ञाधारी द्वारा जमाराज कराई गई समस्त राशि एवं उपलब्ध मदिरा स्टॉक को जप्त सरकार किया जायेगा।

9. <u>अनुज्ञापत्र को निरस्त करना :</u>

9.1 अनुज्ञाधारी को मासिक किश्तों का भुगतान अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 2 के तहत निर्धारित अवधि तक करना आवश्यक होगा। निर्धारित अवधि तक मासिक किश्त को जमा नही कराने पर इसे अनुज्ञापत्र की शर्तों का उल्लघंन माना जायेगा तथा इस आधार पर अनुज्ञापत्र को निरस्त किया जा सकेगा।

9.2 यदि अनुज्ञापत्र देने वाले अधिकारी अथवा उससे उच्च प्राधिकारी को किसी समय यह विश्वास हो कि अनुज्ञाधारी अपनी दुकान चालू नही रखता है अथवा ठीक तौर पर नही चलाता है अथवा किसी भी प्रकार आबकारी शुल्क व अन्य आबकारी प्रभारों की अपवंचना में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्मिलित है अथवा अन्य कोई उचित एवं पर्याप्त कारण हों तो ऐसी दशा में अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।

9.3 अनुज्ञापत्र की अवधि के दौरान अनुज्ञाधारी के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950, नारकोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट 1985 एवं संबंधित नियमों के अन्तर्गत अभियोग दर्ज होने या उनके सजायाब होने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।

9.4 यदि अनुज्ञाधारी अवैध रूप से मदिरा, अफीम या अन्य मादक पदार्थ रखता है या बेचता है या किसी अन्य राज्य में अवैध रूप से मदिरा को बेचने का या अफीम या अन्य मादक पदार्थ बेचने का काम करता है या किसी ऐसी जगह से उसका संबंध है जहां से ये वस्तुएं अवैध रूप से लाई जाने का संदेह हो तो ऐसी दशा में अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।

9.5 अनुज्ञाधारी अथवा उसके नौकर द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियिम, 1950 उसके अन्तर्गत बने राजस्थान आबकारी नियम, 1956 अथवा ई–नीलामी के संबंध में जारी विस्तृत निर्देश एवं शर्तो, अनुज्ञाधारियों के पक्ष में जारी की गई स्वीकृति, इस अनुज्ञापत्र की शर्तों अथवा समय–समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशों की अवहेलना किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।

9.6 अनुज्ञाधारी का यह भी दायित्व होगा कि वह उसके दुकान एवं गोदाम क्षैत्र में अवैध मदिरा विक्रय या गैर कानूनी मदिरा विक्रय की जानकारी होने पर इसकी सूचना तुरन्त जिला आबकारी अधिकारी या हल्के के आबकारी निरीक्षक को देगा। यदि यह पाया जाता है कि क्षैत्र में अवैध मदिरा विक्रय की जानकारी अनुज्ञाधारी को थी तथा इसकी सूचना वह उसके जिला आबकारी अधिकारी या आबकारी निरीक्षक को देने में असफल रहा तो ऐसे मामलो में अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा उसका अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा ऐसा अनुज्ञाधारी किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा रिफण्ड प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

9.7 अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञापत्र की शर्तो का उल्लंघन कर अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा/बीयर विक्रय करने तथा निर्धारित समय से अतिरिक्त समय पर दुकान खोलन पर राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 58सी के तहत दर्ज होने वाले अभियोगो में अनुज्ञा पत्र निलम्बन/निरस्तीकरण किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त अनुज्ञा पत्र की अन्य शर्तों के उल्लंघन करने पर अनुज्ञाधारी को सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

10. <u>बकाया राशियों की वसूली :</u>

अनुज्ञाधारी के विरूद्व किसी भी प्रकार का कोई आबकारी राजस्व मय ब्याज बकाया रहने की स्थिति में उसकी वसूली विभाग के पास अनुज्ञाधारी की किसी भी जमा राशि से, उनके द्वारा प्रस्तुत बैंक गारन्टी से तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950, तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं केन्द्रीय राजस्व वसूली अधिनियम 1890 के प्रावधानों के अनुसार भू–राजस्व की बकाया की भॉति अनुज्ञाधारियो, उनके वारिसो/उत्तराधिकारियों से की जायेगी। अनुज्ञाधारियों की सम्पतियों तथा उनके वारिसो/उत्तराधिकारियों की सम्पतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का रहेगा। प्रथम प्रभार का अंकन अनुज्ञाधारी की स्वामित्व की परिसम्पत्तियों के मूल रेकार्ड/राजस्व रेकार्ड में अंकन अनुज्ञाधारी द्वारा कराया जाना होगा।

11. अन्य बिन्दु :

11.1 राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) के लिए उल्लेखित विशिष्ठ प्रावधानों के अलावा अन्य सभी प्रावधान देशी मदिरा के प्रावधान लागू रहेगें।

11.2 अनुज्ञाधारी के लिए अनिवार्य होगा कि वह आबकारी अधिनियम व नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट के तहत कारित अपराध उसकी जानकारी में आने पर जिला आबकारी अधिकारी या हल्के के आबकारी निरीक्षक को अविलम्ब सूचना देगा।

11.3 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के समस्त प्रावधान यथारूप में लागू होंगे।

11.4 इस अनुज्ञापत्र के संबंध में उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद का न्याय क्षेत्र अनुज्ञापत्र जारीकर्ता प्राधिकारी का मुख्यालय रहेगा।

11.5 आबकारी बन्दोबस्त, मद्य–संयम एवं शुष्क दिवसों के संबंध में अन्य प्रावधान / प्रक्रिया/व्यवस्था पूर्व नीति के अनुरूप यथावत रखे जायेंगे।

11.6 आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2021–22 के प्रावधान एवं इसके तहत जारी की गई अधिसूचना /विभागीय परिपत्र/आदेश एवं समय–समय पर राज्य सरकार/विभाग द्वारा मदिरा दुकानों के संबंध में जारी आदेश/निर्देश अन्तिम होगे।

अनुज्ञापत्र देने वाले के हस्ताक्षर

प्रतिसंविद

अनुज्ञापत्र संख्या ..... जिला .....

दुकान का नाम .....

मैं/हम उपर्युक्त अनुज्ञापत्र के संबंध में इसमें निर्दिष्ट शर्तों तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, ई–नीलामी के संबंध में जारी विस्तृत निर्देश एवं शर्तों, हमारे पक्ष में जारी की गई स्वीकृति एवं समय–समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशों की पालना करना पूर्णतः स्वीकार करता हूँ/करतें हैं।

हस्ताक्षर अनुज्ञाधारी

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये
आबकारी निरीक्षक
वृत .....

प्रति हस्ताक्षर
जिला आबकारी अधिकारी

राजस्थान सरकार
आबकारी विभाग

संशोधन पत्र

वर्ष 2021–22 के आबकारी बंदोबस्त के संदर्भ में देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर एवं वाईन खुदरा विक्रय दुकान (कम्पोजिट दुकान) के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तें

आवेदन के सन्दर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तें के बिन्दु संख्या 3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

3. मासिक राशि के कोटे को अन्य अनुज्ञाधारी को स्थानान्तरित करने की व्यवस्था

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर

AC (Policy)

(सी.आर. देवासी)
अतिक्ति आबकारी आयुक्त
(नीति)